(22)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर
केम्प इंदौर म.प्र.

राजस्व अपील क्रमांक

श्रवण दिनांक :–

PBR/निगरानी/बुरहानपुर/भू.रा./2018/0681

महावीर उर्फ श्रावण आयु लगभग 24 वर्ष पिता एकनाथ निवासी ग्राम नेर तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.

– अपीलार्थी पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन

–प्रत्यर्थी/अनावेदक/उत्तरदाता

अपील मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 (2) के अन्तर्गत

अपीलार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है :–

अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग इंदौर म.प्र. के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 400/2016–17 पक्षकार महावीर विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 8.1.2018 एवं अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, बुरहानपुर के रजस्व प्रकरण क्रमांक 30/2016–17 पक्षकार महावीर विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 29.5.2018 एवं अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के **राजस्व प्रकरण क्रमांक 41बी/121/2016–17 पक्षकार म.प्र. शासन विरूद्ध ग्राम कोटवार महावीर उर्फ श्रावण मे पारित आदेश दिनांक 3.3.2017** से पीड़ित एवं व्यथीत होकर यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करते है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/बुरहानपुर/भू.रा./2018/0681

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश दिनांक 8–1–18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा इस निष्कर्ष के साथ कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखते हुए आवेदक की अपील निरस्त की गई है कि अपीलार्थी कोटवार द्वारा बिना अनुमति के ग्राम के अन्य लोगों से मिलकर गन्दे गटर के पास प्लास्टिक टंकी में सीमेन्ट मसाला भरकर महापुरूष बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिससे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है । प्रथम दृष्टया आवेदक ने पदीय कर्तव्यों के विरूद्ध कृत्य किया है, जिस कारण उसे पद से हटाने के निम्न न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	